कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13-6-18	पक्षकारान् पेश हुए। कब्जूलाप पत्रावली उपस्थित। अभी हम अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं अतः दिनांक 19-6-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
19.6.18	पक्षकारान् पेश हुए। कब्जूलाप पत्रावली उप०। पुनः बहस सुनी [illegible] [illegible] आदेश पत्रावली दिनांक 28-06-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
28-6-18	पक्षकारान् पेश हुए। कब्जूलाप पत्रावली उप०। निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। पंचायत समिति [illegible] के आदेश दि० 20-1-16 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई/साक्ष्य का समुचित मौका/अवसर प्रदान कर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय-सम्मत निर्णय पारित करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान् फैसला सुनाकर [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

लगातार......

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 05 / 2016

1. बद्रीनारायण तिवाडी पुत्र श्री मोहनलाल तिवाडी, जाति–बारागांव ब्राह्मम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. कैलाश तिवाडी पुत्र श्री जगदीश तिवाडी, जाति–बारागांव ब्राह्मम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्तागण,

बनाम

1. हनुमान तिवाडी पुत्र स्व0 श्री धासी तिवाडी, जाति–बारागांव ब्राह्मम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. नानी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री धासी तिवाडी, जाति–बारागांव ब्राह्मम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. पुष्पा देवी शर्मा पत्नी नन्दकिशोर, जाति–ब्राह्मम्ण, निवासी–चकवाडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चकवाडा, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर हाल निवासी–प्लॉट नं0 71, जाधौन नगर, डालडा फैक्ट्री, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. निजामुद्दीन पुत्र बशीर मोहम्मद, जाति–मुसलमान, निवासी–चकवाडा, तहसील –फागी पूर्व वार्ड पंच 13 ग्राम पंचायत चकवाडा, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर।
5. रधुवीर सिंह पुत्र देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शंकरपुरा, तहसील–फागी पूर्व वार्डपंच, ग्राम पंचायत चकवाडा, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत–चकवाडा, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 20.01.2016 बमिसल सं0 / दायर दिनांक 31.07.2015 उनवानी कैलाशचन्द वगैराह बनाम हनुमान तिवाड़ी वगैराह जिसके द्वारा ग्राम पंचायत–चकवाड़ा द्वारा मिसल संख्या–54 / 06.03.2004 में दिनांक 24.08.2004 को जारी किये गये पट्टे के विरूद्ध दायर अपील को खारिज किया गया हैं)

उपस्थिति:–

1. श्री प्रतापसिंह सिरोही, अभिभाषक, निगरानीकर्तागण की ओर से।
2. श्री शिवराज शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.06.2018

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा मिसल संख्या 54 दायर दिनांक 06.03.2004 के अन्तर्गत दिनांक 24.08.2004 को धासी तिवाडी पुत्र श्री सुण्डा तिवाडी, निवासी–चकवाडा के हक में 87.11 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, जिससे व्यथित होकर पंचायत समिति फागी में अपील उनवानी बद्रीनारायण वगैराह बनाम हनुमान तिवाडी वगैराह दायर की गई, जिसे पंचायत समिति–फागी की आज्ञा दिनांक 20.01.2016 द्वारा खारिज किया गया है। पंचायत समिति–फागी की आज्ञा दिनांक 20.01.2016 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्ता जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 3 लगायत 5 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। गैर–निगरानीकर्ता संख्या 6 स्वयं ने उपस्थित होकर मिसल उपलब्ध नही होना सूचित किया। वरवक्त बहस गैर–निगरानीकर्ता संख्या 3 लगायत 6 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रतापसिंह सिरोही का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 20.01.2016 पंचायत समिति–फागी विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। निगरानीकर्त्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी में इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा जरिये मिसल संख्या–54/06.03.2004 दायर दिनांक 06.03.2004 से बिना कोई आदेश पारित किये हुये 87.11 वर्गगज का पट्टा धासी तिवाडी के हक में जारी किया गया है जो नियमों के विपरित है। पट्टा बिना आज्ञा जारी किया गया है। पट्टे पर क्र0सं0 अंकित नहीं है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व मौका रिपोर्ट नही ली गई है। आपत्ति नोटिस जारी नही किया गया है। कब्जे की जांच नही की गई है। पट्टा जारी करने संबधी कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही हैं अर्थात् बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया है। पट्टे की भूमि छापरवाडा नहर की भूमि है एवं रास्ते की भूमि है आबादी भूमि नही है। तथ्यों की बिना जांच किये एक जगह बैठकर कपोल–कल्पित तथ्यो के आधार पर बिना नंबरी पट्टा जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया

जावे, अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी द्वारा निगरानीकर्त्तागण–अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आशय की, प्रस्तुत की गई अपील के तथ्यों पर बिना गौर किये व बिना गुणावगुण के आधार पर मात्र यह अंकित करते हुए कि "अपील प्रार्थना पत्र एवं स्थगन चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र अपीलान्ट् द्वारा 31.07.2015 को प्रस्तुत किये है, अपील सुनने योग्य नहीं होने से अपील–अपीलान्ट् एवं स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह प्रकरण माननीय न्यायालय फागी में हनुमान बनाम दुर्गालाल लम्बित है, अपीलान्ट् न्यायालय में पक्षकार है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज की जाती है" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये ही अपील को खारिज किया गया है जो गुणावगुण के आधार पर नही होने एवं स्पीकिंग आदेश न होने से प्रथम–दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। पंचायत समिति–फागी द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता उपयोग नही करने में कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत की किसी भी अवैधानिक कार्यवाही के विरूद्ध अपील सुनवाई किये जाने का पंचायत समिति को पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है और विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत ही निगरानीकर्त्तागण–अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी में अपील प्रस्तुत की गई थी। पंचायत समिति–फागी ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2016 में जो न्यायालय फागी में हनुमान बनाम दुर्गालाल उनवानी प्रकरण होने के कारण अपील खारिज की है वह तो गैरनिगरानीकर्त्ता–रेस्पोडेन्ट् हनुमानसहाय द्वारा सिविल न्यायाधीश फागी में प्रस्तुत वाद–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का है, इस वाद में किसी पक्ष द्वारा पट्टे की वैधानिकता को चुनौती नही दी गई है। यह वाद तो मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का है जो कि तथाकथित पट्टा दिनांक 20.08.2004 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। कब्जे में दखलन्दांजी करने से रोकने हेतु दादरसी प्राप्त करने के एवं पट्टे की वैधानिकता को चुनौती दिये जाने के पृथक–पृथक अधिनियमों में प्रावधान है और पृथक–पृथक न्यायालयों को सुनवाई के अधिकार प्रदत्त है। निगरानीकर्त्तागण– अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी में ग्राम पंचायत– चकवाडा द्वारा फर्जी रूप से जारी कियै गये पट्टे की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और पंचायती राज अधिनियम/पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्था द्वारा जारी किये गये किसी अवैध आदेश/अवैध प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश की अपील पंचायत समिति में किये जाने का प्रावधान है और इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत निगरानीकर्त्तागण– अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत

समिति–फागी में अपील प्रस्तुत की गई थी। अतः यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का बिना उपयोग किये, अपील के गुणावगुण के तथ्यों पर बिना गौर किये नॉन–स्पीकिंग निर्णय पारित किया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में निगरानी–निगरानीकर्त्तागण स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी की आज्ञा दिनांक 20.01.2016 निरस्त फरमाई जावे।

गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवराज शर्मा का कथन है कि पंचायत समिति–फागी की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 20.01.2016 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित किये जाने से वैध है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय–संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा पंचायती राज अधिनियम/पंचायती राज नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत धासी तिवाडी पुत्र श्री सुण्डा तिवाडी, निवासी–चकवाडा जोकि गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के पिता व गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के पति थे, के हक में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत–चकवाड़ा के संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.08.2004 द्वारा निर्णय पारित किया गया है और इसी निर्णय के अनुसरण में पट्टा संख्या–88, दिनांक 24.08.04 को जारी किया गया है। इस पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। धासी तिवाडी के हक में जारी किया गया पट्टा पूर्ण रूप से वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए नियमान्तर्गत जारी किया गया है जिस पर गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 जो कि धासी तिवाडी के विधिक वारिस है, का पुख्ता कब्जा है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 3 जो कि तत्कालीन सरपंच है, ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि पट्टा संख्या–88 दिनांक 24.08.2004 को स्व0 श्री धासी तिवाडी के हक में जारी किया गया है। श्री धासी तिवाडी ने पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पंचायत कोरम में प्रस्ताव लिया जाकर पट्टा जारी किया। पट्टे से संबधित कागजात ग्राम पंचायत–चकवाडा के कार्यालय में रखवा दिये गये थे। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 4 व 5 जो कि तत्कालीन वार्डपंच रहे है ने न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पट्टा संख्या–88 दिनांक 24.08.2004 धासी तिवाडी के पक्ष में नियमों का पालन करते हुए जारी किया गया है जिस पर गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 का कब्जा

है। भू–खण्ड किसी भी प्रकार से पब्लिक यूटिलिटी का ना तो पहले था और ना ही आज है। पट्टे संबधी पत्रावली यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही है तो दोषियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली यदि ग्राम पंचायत में नही है तो इसके आधार पर पट्टे को अवैध नही ठहराया जा सकता है और गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 को अपने हक– हकूको से वंचित नही किया जा सकता है। निगरानीकर्त्तागण का मकान गैर–निगरानीकार संख्या 1 व 2 की पट्टेशुदा भूमि से कुछ दूरी पर स्थित है जिसमें तीन ओर आम रास्ता है व अपने मकान को मौके पर लाने के लिए वादग्रस्त भू–खण्ड में से अवैध रूप से रास्ता निकालना चाहते है। वर्तमान सरपंच द्वारा वादग्रस्त भू–खण्ड के संबध में यह कतई कथन नही किया है कि वादग्रस्त भू–खण्ड पब्लिक यूटिलिटी अथवा आम रास्ते की भूमि का है, अथवा यह पट्टा संख्या–88 ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा जारी नही किया गया है। गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 के पट्टेशुदा भू–खण्ड के कब्जे में दखलन्दांजी किये जाने पर गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, फागी में वाद बाबत् स्थायी निषेद्याज्ञा प्रस्तुत किया गया है जिसमें निगरानीकर्त्ता संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 बाबत् पक्षकार बनाये जाने प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार सुनवाई किये जाने पर निगरानीकर्त्तागण का प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनाये जाने, दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् दावे का गुणावगुण के आधार पर दिनांक 05.04.2016 को गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 1–वादी के हक में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भू–खण्ड में वादी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत एवं निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न तो करे और न अन्य से करावे, का निर्णय पारित किया जाकर दिनांक 05.04.2016 को डिक्री जारी की है। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भू–खण्ड पर समस्त प्रकार से मालिकाना हक व कब्जा स्वीकार किया जा चुका है। अब पट्टे का अथवा भू–खण्ड का कोई विवाद शेष नही रहता है। सिविल न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2016 के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक में अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र निगरानीकर्त्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो बाद सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सांभरलेक द्वारा दिनांक 18.05.2016 को अस्वीकार किया जा चुका है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाया जावें ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस निगरानीकर्त्तागण के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रतापसिंह सिरोही ने कथन किया है कि निगरानीकर्त्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी में इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा जरिये मिसल संख्या–54/06.03.2004 दायर दिनांक 06.03.2004 से बिना कोई आदेश पारित किये हुये 87.11 वर्गगज का पट्टा धासी तिवाडी के हक में जारी किया गया है, पट्टे पर क्र0सं0 अंकित नहीं, पट्टा जारी किये जाने से पूर्व मौका रिपोर्ट नही ली गई है, आपत्ति नोटिस जारी नही किया गया है, कब्जे की जांच नही की गई है, पट्टा जारी करने संबधी कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही हैं अर्थात् बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया है, पट्टे की भूमि छापरवाडा नहर की भूमि है एवं रास्ते की भूमि है आबादी भूमि नही है। अतः बिना नंबरी जारी किये गये पट्टे को निरस्त फरमाया जावे, अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी द्वारा निगरानीकर्त्तागण–अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के तथ्यों पर बिना गौर किये व बिना गुणावगुण के आधार पर मात्र यह अंकित करते हुए कि "अपील प्रार्थना पत्र एवं स्थगन चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र अपीलान्ट् द्वारा 31.07.2015 को प्रस्तुत किये है, अपील सुनने योग्य नहीं होने से अपील–अपीलान्ट् एवं स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह प्रकरण माननीय न्यायालय फागी में हनुमान बनाम दुर्गालाल लम्बित है, अपीलान्ट् न्यायालय में पक्षकार है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज की जाती है" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये ही अपील को खारिज किया गया है अतः पंचायत समिति–फागी की आज्ञा दिनांक 20.01.2016 खारिज फरमाई जावें। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी की पत्रावली के अवलोकन किये जाने पर निगरानीकर्तागण के विद्वान् अभिभाषक के कथन की पुष्टि होती है। विधि के प्रावधानों के अवलोकन पर हमारा विनम्र मत है कि ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही के विरूद्ध अपील सुनवाई किये जाने का पंचायत समिति को पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रदत्त है और विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत निगरानीकर्त्तागण–अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति फागी में अपील प्रस्तुत की गई, अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना आवश्यक था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया। पंचायत समिति–फागी ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2016 में जो न्यायालय न्यायाधीश, फागी में हनुमान बनाम दुर्गालाल उनवानी प्रकरण होने

के कारण अपील खारिज की है वह तो गैरनिगरानीकर्त्ता–रेस्पोडेन्ट् हनुमानसहाय द्वारा सिविल न्यायाधीश, फागी में प्रस्तुत वाद–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का है। कब्जे में दखलन्दांजी करने से रोकने हेतु दादरसी प्राप्त करने के एवं पट्टे की वैधानिकता को चुनौती दिये जाने के पृथक–पृथक अधिनियमों में प्रावधान है और पृथक–पृथक न्यायालयों को सुनवाई के अधिकार प्रदत्त है। पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पंचायत अपील/निगरानी सुने जाने की अधिकारिया सिविल न्यायालय में नहीं है। ग्राम पंचायत–चकवाडा द्वारा जारी किये गये पट्टे की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और पंचायती राज अधिनियम/पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्था द्वारा जारी किये गये किसी आदेश/प्रक्रिया को अपील के माध्यम से पंचायत समिति में किये चुनौती दिये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी द्वारा पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग न कर, अपील के गुणावगुण के तथ्यों पर बिना गौर किये संक्षिप्त निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होना नही पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति–फागी की आज्ञा दिनांक 20.01.2016 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उभयपक्षों को सुनवाई–साक्ष्य का समुचित नोटिस/अवसर प्रदान कर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय–सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर